छत्तीसगढ़ शासन

औद्योगिक नीति

(2004 – 2009)

वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग

औद्योगिक नीति (2004–2009)

विषय सूची

क्रमांक		विषय	पृष्ठ क्रमांक
1		प्रस्तावना	2
2		उद्देश्य	3
3		रणनीति	3–4
4		कार्य नीति	4–10
	4.1	बुनियादी अधोसंरचना	4
	4.2	औद्योगिक अधोसंरचना	5
	4.3	प्रशासकीय तथा कानूनी सुधार	5
	4.4	निर्दिष्ट प्रोत्साहन	6–8
	4.5	निजी क्षेत्र की भागीदारी	8–9
	4.6	विदेशी पूंजी निवेश/निर्यात संवर्धन	9
	4.7	बीमार और बंद औद्योगिक इकाईयों का पुनर्वास	9
	4.8	लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन	10
	4.9	मानव संसाधन विकास	10
	4.10	औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन का अनुश्रवण	10
5		परिशिष्ठ	11–31
	5.1	परिशिष्ठ–1 परिभाषाएं	11–15
	5.2	परिशिष्ठ–2 उद्योगों की निषिद्ध सूची	16–17

5.3 परिशिष्ठ–3 विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों की सूची
18

5.4 परिशिष्ठ–4 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु छूट–रियायतें
19–28

5.5 परिशिष्ठ–4ए स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए पात्र उद्योगों की सूची 29–30

औद्योगिक नीति (2004–2009)

1. प्रस्तावना –

1.1 प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ राज्य 21 वीं सदी का राज्य है। छत्तीसगढ़ जहां मूल्यवान वनों एवं वनौषधियों की 88 से अधिक प्रजातियों सहित लघु वनोपज से धनी क्षेत्र है, वहीं राज्य में मूल्यवान खनिजों सहित खनिज सम्पदा के बड़े भंडार हैं । इन संसाधनों की सुलभ उपलब्धता से यहां औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं ।

1.2 राज्य सरकार, क्षेत्रीय संतुलन के साथ तेजी से सुनियोजित आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए राज्य को शीघ्रातिशीघ्र ''विकसित राज्य'' की श्रेणी में लाने के लिए कृत संकल्पित है । छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए औद्योगिक विकास की वर्तमान दर में वृद्धि करना आवश्यक है । राज्य में औद्योगिक उत्पादन बढाने और रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है ।

1.3 नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्धेश्य राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य में ही वैल्यू एडीशन के लिए करना और प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना है । राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए यह प्रयास किया गया है कि निवेश के लिए आवश्यक अधोसंरचना सुलभ हो सके, उत्पादन लागत में कमी आए और प्रशासन उद्योगों की स्थापना के लिए मित्रवत् कार्य करते हुए सहयोगी बने। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को अहम स्थान दिया गया है ।

1.4 राज्य के औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों के साथ–साथ पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग भी राज्य के औद्योगिक विकास में सहभागी बने, इस हेतु औद्योगिक नीति में विशेष प्रयास दिए गए है । राज्य में अप्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, बंद

तथा बीमार उद्योगों के पुनर्वास, उद्योगों में रोजगार प्राप्ति हेतु कौशल विकास, आदि की ओर समुचित ध्यान दिया गया है ।

1.5 औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार करते समय उद्योग संघों, उद्योगस्वामियों, निवेशकों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों आदि के साथ विचार–विमर्श किया गया है एवं उनके सुझावों तथा विचारों को महत्व देते हुए मान्य किया गया है। आशा की जाती है कि ''औद्योगिक नीति 2004–2009'' के क्रियान्वयन से राज्य के औद्योगिकरण को गति मिलेगी और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।

2. उद्देश्य –

1. औद्योगिकरण को गति प्रदान कर रोजगार सृजन कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर बढ़ाना ।
2. प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिज, वनोपज, आदि स्थानीय संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करने हेतु सुविधाजनक वातावरण निर्मित करना ।
3. राज्य के पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित कर संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना ।
4. अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति आदि कमजोर वर्गों के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना ।
5. राज्य में औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाना ।
6. राज्य के औद्योगिकीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए सहभागी बनाना।
7. आर्थिक उदारीकरण जनित प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए औद्योगिक उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक वातारण निर्मित करना ।

3. रणनीति (स्ट्रेटजी) –

1. उद्योगों के लिए आवश्यक रेल–सड़क, विद्युत, पानी, आदि मूलभूत अधोसंरचना तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उपाय करना ।

2. सड़क, विकसित भूमि, पानी आदि कम समय में और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना तथा सस्ती विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कैप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देना ।

3. संपूर्ण राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण, वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार तथा उनमें उपलब्ध सेवाओं में सुधार करना ।

4. ऐसे उद्योगों जिनकी स्थापना के लिए राज्य में प्रचुर संसाधन हैं, किन्तु उनकी स्थापना नहीं हो पायी है, की स्थापना के लिये क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए विशेष पार्क निर्माण करना तथा सामुहिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

5. ऐसे अपरम्परागत उद्योगों जिनकी स्थापना के लिए राज्य में आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने से उनके विकास की महती संभावनाएं विद्यमान हैं, को चिन्हित कर उनकी स्थापना को विशेष प्रोत्साहन देना ।

6. राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में तथा कमजोर वर्गो को उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देना ।

7. कम से कम समय में राज्य के सभी क्षेत्रों में उद्योग आधारित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन देना ।

8. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के तकनीकी उन्नयन व आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन देना ।

9. राज्य के युवावर्ग को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके कार्य कौशल में वृद्धि, मार्गदर्शन प्रदान जैसे उपाय करना ।

10. बीमार तथा बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु आवश्यकतानुसार विशेष पैकेज देना ।

11. निवेश के लिए आवश्यक सुविधाएं, सेवाएं तथा कानूनी क्लियरेंस सुगमता के साथ न्यूनतम समय में उपलब्ध कराने के लिए ''एकल संपर्क बिन्दु'' तथा ''समय बद्ध क्लियरेंस'' की प्रभावी व्यवस्था निर्मित करना ।

4. कार्य नीति –

4.1. बुनियादी अधोसंरचना–

4.1.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाली सतत् तथा निर्बाध विद्युत प्रदाय करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे । उद्योगों की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु केप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

4.1.2 उद्योगों की पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश की ऐसी नदियों जिनमे ग्रीष्मकाल में जलप्रवाह कम हो जाता है, में जल संग्रहण करने हेतु ''एनीकट श्रृंखलाओं'' का निर्माण एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर किया जाएगा ।

4.1.3 प्रस्तावित दल्ली राजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल लाईन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कराने के लिए सभी आवश्यक प्रयास एवं उपाय किए जाएंगें ।

4.1.4 विद्यमान तथा भविष्य मे निर्मित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्को, निर्यात क्षेत्रों, आदि को राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशनों से उत्कृष्ट सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा ।

4.1.5 बुनियादी अधोसंरचना की परियोजनाओं में देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के निजी निवेश एवं भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जायेगा । इसके लिये ''बी. ओ. टी.'', ''बी. ओ. ओ. टी.'' आदि पर आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी और राज्य सरकार अपने स्त्रोतों से स्वयं भी परियोजानाएं क्रियान्वित करेगी ।

4.2 औद्योगिक अधोसंरचना –

4.2.1 नए उद्योगों की स्थापना हेतु बुनियादी अधोसंरचना की उपलब्धता को दृष्टिगत् रखते हुये इंडस्ट्रियल जोनिंग एटलस तैयार करने के लिये पहल की जायेगी ।

4.2.2 राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिये लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय के समीप उपयुक्त स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जायेगा ।

4.2.3 निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

4.2.4 नये उद्योगों की स्थापना हेतु क्लस्टर एप्रोच अपनाई जायेगी और हर्बल पार्क, फूड पार्क, एल्यूमीनियम पार्क, मेटल पार्क, अपरेल पार्क, आई.टी. पार्क, सायकल काम्पलेक्स, जैम एण्ड ज्वेलरी पार्क आदि के लिये उपयुक्त क्षेत्रों को चिन्हित कर इनकी स्थापना की जायेगी ।

4.2.5 राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, शीतगृह, आदि आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ।

4.2.6 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, जलप्रदाय, विद्युत प्रदाय तथा कॉमन सुविधाओं के निर्माण, सुधार तथा रखरखाव हेतु राज्य सरकार के स्त्रोतों से तथा भारत सरकार की औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत स्पेशल परपज व्हीकल के माध्यम से कार्य किया जायेगा ।

4.2.7 राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 'विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र', 'कृषि निर्यात प्रक्षेत्र' तथा 'एयर कार्गो काम्पलेक्स' की स्थापना तथा विद्यमान 'इनलेण्ड कंटेनर डिपो' में सुविधायें बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायेंगे ।

4.2.8 औद्योगिक क्षेत्रों तथा पार्कों के बाहर उद्योगों की स्थापना हेतु विशेषकर वृहद तथा मेगा उद्योगों के लिये, निवेशकों को शासकीय राजस्व भूमि तथा निजी भूमि का अर्जन कर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ।

4.2.9 औद्योगिक क्षेत्रों के पास राज्य गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य शासकीय तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये पहल की जायेगी ।

4.3 प्रशासकीय तथा कानूनी सुधार –

4.3.1 राजधानी में उद्योगों तथा औद्योगिक निवेश से संबंधित सभी एजेंसियां एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इस हेतु रायपुर में ''उद्योग परिसर'' का निर्माण किया जायेगा, जिसमें निवेशकों के सभी कार्य एक छत के नीचे हो सकेंगे ।

4.3.2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिये औद्योगिक संगठनों, निवेशकों तथा विशेषज्ञों से सतत् विचार–विमर्श हेतु संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उद्योग सलाहकार बोर्ड का गठन किया जायेगा ।

4.3.3 'छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002' के अधीन गठित जिला निवेश प्रोत्साहन समिति तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा । निवेश हेतु आवश्यक क्लियरेंस सुनिश्चित कालावधि के भीतर उपलब्ध कराने तथा संबंधित एजेंसीज द्वारा ऐसा न करने पर 'डीम्ड अप्रूवल' की व्यवस्था लागू की जाएगी ।

4.3.4 निवेशकों को विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनिक क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए "एकल सम्पर्क बिन्दु" के रूप में कार्य करने के लिए जिलास्तरीय नोडल एजेंसी नामजद की जाएगी जो समस्त क्लियरेंस उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी ।

4.3.5 श्रम कानूनों को सरलीकृत करने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी ।

4.4 निर्दिष्ट प्रोत्साहन–

4.4.1 राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु ब्याज अनुदान, अधोसंरचना लागत/ स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क छूट, प्रवेश कर छूट, औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दर पर प्लाट आबंटन, भू–डाईवर्शन पर छूट, परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान, आदि मदों में निर्दिष्ट प्रोत्साहन दिए जाएगें ।

4.4.2 निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:–

(एक) **सामान्य क्षेत्र** – नीचे खंड (दो) के जिलों को छोड़कर राज्य के शेष समस्त जिलों का क्षेत्र

(दो) **अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र** – दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों का क्षेत्र

4.4.3 निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से निवशकों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(एक) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निवेशक

(दो) अप्रवासी भारतीय तथा शत–प्रतिशत एफ.डी.आई. वाले निवेशक

(तीन) सामान्य वर्ग के निवेशक – उपर्युक्त खण्ड (एक) तथा (दो) के निवेशकों को छोड़कर शेष समस्त निवेशक

4.4.4 निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु निवेश के साईज की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(एक) **लघु उद्योग** – भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अपनाई गई परिभाषा अनुसार

(दो) **मध्यम–वृहद उद्योग** – लघु उद्योगों को छोड़कर रुपये 100 करोड़ तक के सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग

(तीन) **मेगा प्रोजेक्टस** – रु. 100 करोड़ से रुपये 1000 करोड़ तक के सकल पूंजीगत लागत वाले वृहद उद्योग

(चार) रुपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले वृहद उद्योग

4.4.5 उद्योग के महत्व की दृष्टि से निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु उद्योगों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(एक) **निषिद्ध सूची के उद्योग** – परिशिष्ट–2 की सूची में दर्शाए उद्योग, जिन्हें निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी

(दो) **विशेष थ्रस्ट उद्योग** – परिशिष्ट–3 की सूची में दर्शाए उद्योग

(तीन) **सामान्य उद्योग** – निषिद्ध सूची तथा विशेष थ्रस्ट उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग

4.4.6 इस नीति में प्रावधानित निर्दिष्ट प्रोत्साहन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों के मामलों में लागू होगें :–

(एक) **नवीन औद्योगिक परियोजनाएं** – ऐसी समस्त नई औद्योगिक इकाईयां, जो 1 नवम्बर, 2004 तथा 31 अक्टूबर, 2009 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करें

(दो) **विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाएं** – दिनांक 1 नवम्बर, 2004 के पूर्व से उत्पादनरत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो राज्य सरकार के साथ 1 नवम्बर, 2004 के पश्चात् एम.ओ.यू. निष्पादित कर न्यूनतम रुपये 25 करोड़ का निवेश करते हुए मूल उत्पादन क्षमता (स्थापित क्षमता अथवा विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो) में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि करे और 31 अक्टूबर, 2009 के पूर्व विस्तार परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करे ।

उत्पादन क्षमता विस्तार की परियोजना में किए गए निवेश के मामलों में छूट/रियायत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता/अतिरिक्त निवेश तक सीमित रहेगी । अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर दी जाने वाली छूट/रियायतों के प्रयोजन के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ने के बाद होने वाले कुल उत्पादन को मूल उत्पादन क्षमता और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के अनुपात में बांटा जाकर छूट/रियायत की पात्रता निर्धारित की जाएगी । कच्चे माल की खपत पर प्राप्त होने वाली छूट/रियायत की पात्रता भी इसी आधार पर परिगणित की जाएगी ।

4.4.7 राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के निवेशकों को नवीन लघु, मध्यम–वृहद तथा मेगा उद्योग स्थापित करने के लिए ''**परिशिष्ट–4**'' में दर्शाए निर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4.4.8 अप्रवासी भारतीय तथा शत–प्रतिशत एफ.डी.आई. वाले निवेशकों को संबंधित क्षेत्र में सामान्य निवेशकों को उपलब्ध होने वाले निर्दिष्ट प्रोत्साहन से 5 प्रतिशत अधिक निर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4.4.9 विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजना के लिए निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता यथास्थिति मध्यम–वृहद या मेगा उद्योग वर्ग के लिए सामान्य क्षेत्र में उपलब्ध अधिकतम निर्दिष्ट प्रोत्साहन के समतुल्य होगी ।

4.4.10 रुपये 1000 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्योगों को निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता मेगा प्रोजेक्ट के लिए अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मे उपलब्ध अधिकतम निर्दिष्ट प्रोत्साहन के समतुल्य होगी ।

4.4.11 निर्दिष्ट प्रोत्साहन (छूट/रियायतें) उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होगी जो अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करें ।

4.4.12 जिन उद्योगों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किंतु नियत दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2001–2006 में प्रावधानित छूट/रियायतों का पैकेज प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

4.4.13 भारत शासन अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ उपक्रम संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर) को निर्दिष्ट प्रोत्साहन की छूट / रियायतें प्राप्त नहीं होंगी ।

4.5 निजी क्षेत्र की भागीदारी–

4.5.1 राज्य में बुनियादी अधोसंरचना तथा औद्योगिक संरचना के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा ।

4.5.2 सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य में वेल्यू–एडीशन के लिए निवेश करने वाली निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए, विशेष रूप से माइनिंग के क्षेत्र में, प्रोत्साहित किया जाएगा ।

4.5.3 अधोसंरचना निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रोत्साहित की जाएगी–

(1) सड़क, विद्युत, जल प्रदाय, आवास आदि बुनियादी अधोसंरचना

(2) औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक पार्क निर्माण, क्लस्टर विकास आदि औद्योगिक अधोसंरचना

(3) एयर कार्गो काम्पलेक्स, इनलेण्ड कंटेनर डिपो, वेयरहाउसिंग, लाजिस्टिक हब आदि भौतिक अधोसंरचना

(4) स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन आदि सामाजिक अधोसंरचना

4.6 विदेशी पूंजी निवेश/निर्यात संवर्धन–

4.6.1 निर्यात के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के माध्यम से राज्य में निर्यात की संभावनाओं का सर्वेक्षण कराया जाएगा ।

4.6.2 भारत सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का पूरा उपयोग करने के लिए निर्यातक उद्योगों के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी ।

4.6.3 निर्यात संवर्धन के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्मित करने लिए पहल की जाएगी ।

4.6.4 अप्रवासीय भारतीयों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें व्यक्तिशः तथा समूहों में आमंत्रित कर राज्य के उद्यमियों के साथ 'सार्थक संवाद' स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी ।

4.6.5 निर्यातकों तथा निर्यात से संबंधित संस्थानों के सहयोग से वर्कशाप, सेमीनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित कर निर्यात विधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ।

4.6.6 उद्योगों के तकनीकी उन्नयन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन तथा शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा ।

4.6.7 अप्रवासी भारतीयों द्वारा एफ.डी.आई. के निवेश के लिए अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

4.7 बीमार और बंद औद्योगिक इकाईयों का पुनर्वास–

4.7.1 बीमार उद्योगों की पहचान करने की सरलीकृत प्रणाली विकसित की जाकर रुग्णता की ओर बढ़ रहे उद्योगों की सतत् रुप से जानकारी एकत्र की जाएगी और उन्हें कार्यशील बनाए रखने के लिए उपाय किए जायेगें ।

4.7.2 लघु उद्योगों के मामलों में बंद एवं बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास हेतु उद्योग की श्रेणीवार वित्तीय तथा गैर–वित्तीय छूट/रियायतों का प्रावधान करते हुए योजना बनाई जाएगी । मध्यम

एवं वृहद बंद/बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास हेतु आवश्यकतानुसार विशेष पैकेज बनाए जायेगें ।

4.8 लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन–

4.8.1 इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि रोजगार के सर्वाधिक अवसर लघु एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में निर्मित होते हैं, इनकी स्थापना के लिए दिए जाने वाले निर्दिष्ट प्रोत्साहनों का युक्तियुक्तकरण करते हुए उनमें वृद्धि की गई है ।

4.8.2 हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु समुचित प्रशिक्षण एवं विपणन के लिए उपलब्ध संस्थागत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

4.8.3 टसर के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ–साथ विपणन की सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उपाय किए जायेगें ।

4.8.4 राज्य सरकार के विभागों तथा शासकीय उपक्रमों द्वारा की जाने वाली खरीदी में लघु तथा ग्रामोद्योगों को 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता तथा 10 प्रतिशत तक क्रय अधिमान्यता को जारी रखा जाएगा ।

4.9 मानव संसाधन विकास–

4.9.1 राज्य के उद्योगों की कुशल श्रमिकों की भावी आवश्यकता तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का आंकलन किया जाकर मांग एवं आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के उपाय किए जायेगें ।

4.9.2 राज्य के उद्योगों के लिए कुशल युवक/युवतियॉ उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार शासकीय तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों में, प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी ।

4.9.3 राज्य में स्थापित उद्योगों के स्वामियों तथा निजी क्षेत्र को नई तकनीकी संस्थाऍ स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जायेगा । प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने के साथ–साथ अन्य आवश्यक सहायता दी जायेगी ।

4.10 औद्योगिक नीति के कियान्वयन का अनुश्रवण –

इस औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतरविभागीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को विशेष रुप से आमंत्रित किया जाएगा ।

परिशिष्ठ–1

परिभाषाएं :

1 ''**नियत दिनांक**'' से अभिप्रेत है 1 नवंबर 2004,

2.1– ''**सामान्य क्षेत्र**'' से अभिप्रेत है राज्य के रायपुर, धमतरी, महासमुद, दुर्ग, राजदनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा तथा रायगढ़ जिलों का क्षेत्र,

2.2– ''**अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र**'' से अभिप्रेत है राज्य के उत्तर बस्तर (कांकेर), बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर जिलों का क्षेत्र,

3 **''औद्योगिक क्षेत्र''** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थान / ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न औद्योगिक पार्क, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के आधिपत्य में भूमि बैंक तथा राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीय डेव्हलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संधारित औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र,

4 ''**नवीन औद्योगिक इकाई**'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2004 या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र /वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

5 ''**विद्यमान औद्योगिक इकाई**'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने औद्योगिक नीति 2004–09 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो,

6 **''विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार''** से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करके न्यूनतम

25 करोड़ रू0 स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षो के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है,

7 ''**लघु उधोग इकाई**'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैघ पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

8 ''**मध्यम / वृहद औद्योगिक इकाई**'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका सकल स्थायी पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगो हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किन्तु रू. 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति आई.ई. एम., औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

9 ''**मेगा प्रोजक्ट**'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2004 के पश्चात उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत शासन उद्योग मत्रांलय से यथास्थिति आई.ई.एम., औद्योगिक लायसेंस, आशय पत्र प्राप्त कर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

10 **''विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग''** से अभिप्रेत है परिशिष्ठ–3 में उल्लिखित उद्योग,

11 **''अपात्र उद्योग''** से अभिप्रेत है परिशिष्ठ–2 में उल्लिखित उद्योग,

12 **''सकल पूंजीगत लागत''** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल हैं उद्योग के स्थापना स्थल पर किया गया स्थायी पूंजी निवेश व अधोसंरचना लागत की कुल राशि,

13 **''अघोसंरचनात्मक लागत''** से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या उद्योग के विस्तार हेतु भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किये गये निवेश से है ,

14 **''भूमि''** से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु क्रय की गई या लीज पर ली गई भूमि से है तथा ''भूमि व्यय'' में सम्मिलित है– भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम तथा भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क,

15 **''भूमि विकास''** के अन्तर्गत सम्मिलित हैं भूमि का समतलीकरण, गहराई करण, ड्रेनेज निर्माण,

टीप :भूमि विकास पर किया गया निवेश भूमि एवं भवन पर मान्य स्थाई पूंजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा,

16 **''पहुंच मार्ग''** से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो औद्योगिक इकाई के फेक्ट्री स्थल के निकटवर्ती सावर्जनिक मार्ग से फेक्ट्री स्थल तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों / स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते शासन के किसी विभाग / उपक्रम का कोई पहुंच मार्ग फेक्ट्री स्थल तक न हो,

17 **''विद्युत आपूर्ति''** से अभिप्रेत है नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना या विद्यमान उद्योग के विस्तार में उत्पादन प्रारंभ करने हेतु विद्युत संयोजन पर छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल को भुगतान की गई राशि,

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट, छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी ।

(2) यदि केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना केवल स्वंय के उद्योग को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को ''विद्युत '' के तहत मान्य किया जावेगा ,जिसके लिए विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

18 **''जल आपूर्ति''** से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना / विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु जल आपूर्ति पर किया गया निवेश (सिक्यूरिटी व सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोडकर) यदि शासन के प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो ,

19 **''स्थायी पूंजी निवेश''** से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना या विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु औधोगिक इकाई द्वारा उद्योग के स्थापना स्थल पर स्थाई परिसम्पत्तियों में शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, रेल्वे साइडिंग पर किया गया निवेश,

20 **''शेड–भवन''** से अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं कि औद्योगिक इकाई के स्थापना स्थल पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोग शाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन,श्रमिक विश्राम गृह, साईकिल / स्कूटर स्टेण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट, माल गोदाम,

21 **''प्लांट एवं मशीनरी''** सें अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं इकाई के स्थापना स्थल पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान, आदि हेतु स्थापित संयत्र, उपकरणों से है ,

टीप : पट्टे पर लिये गये ऐसे प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण जो न्युनतम 10 वर्ष की, कालावधि के लिए ली गयी हो व जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो में किया गया निवेश भी प्लांट मशीनरी में किया गया निवेश मान्य होगा तथा उपकरण के मूल्य की गणना ''इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंटस ऑफ इण्डिया'' द्वारा जारी ''एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रक्रिया एवं मापदण्ड'' के अनुसार की जाएगी ;

22 **''रेलवे साइडिंग''** से अभिप्रेत औद्योगिक इकाई के कार्यस्थल से विद्यमान रेल्वे लाइन तक बिछाई गई रेलवे लाइन तथा संबद्ध सुविधाओं के निर्माण से है,

टीप : स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसाार की जाएगी –

(क) लघु उद्योग की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छः मास बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश

(ख) वृहद / मध्यम उद्योग की दशा में स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के

दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से तीन वर्ष बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश,

(ग) मेगा प्रोजेक्ट की दशा मे स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष बाद तक की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश,

23 **''वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक''** से अभिप्रेत है–

(क) लद्यु उद्योग के मामले में औधोगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण –उत्पादन से 30 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो पहले हो,

ख) रूपये 10 करोड तक स्थायी पुंजी निवेश वाली औधोगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो,

(ग) रूपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो पहले हो,

(घ) रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो पहले हो,

(ङ) रू. 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो,

टीप : वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के संबंध में कोई विवाद होने पर अन्तिम निर्णय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का होगा ।

24 **''अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति''** से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित जाति,

25 **''अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/ स्थापित उद्योग''** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाए या स्थापित की जानी प्रस्तावित हो, तथा भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कंम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के मूल निवासी हों,

26 ''**प्रभावी कदम**'' से अभिप्रेत, निम्नलिखित कार्रवाईयां पूर्ण करने से है –

क. इकाई के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो,

ख इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड–भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो , तथा

ग इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का निश्चित क्रय आदेश दे दिया हो ।

'''

परिशिष्ठ–2

उन उद्योगों की सूची जिन्हे छूट/रियायतों की पात्रता नही होगी (निगेटिव लिस्ट) :

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना

(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,

(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)

(7) हालर मिल

(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना

(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)

(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)

(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)

(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)

(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण

(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल

(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण

(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)

(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क

(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना

(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण

(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स

(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(24) फोटो लेबोरिटीज

(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(26) सभी प्रकार के कूलर

(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग

(28) रबर स्टाम्प बनाना

(29) बारदाना मरम्मत

(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)

(31) लेदर टेनरी

(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)

(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

'''

परिशिष्ठ–3

विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों की सूचीः :

1 हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण

2 आटोमोबाईल,आटो कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग

3 प्लांट / मशीनरी / इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण

4 एल्यूमीनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद

5 खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/ सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)

6 मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद

7 फार्मेस्यूटिकल उद्योग

8 व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता उत्पाद

9 अपरंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन

10 सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी

11 ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

'''

परिशिष्ठ –4

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु छूट रियायतें

1– ब्याज अनुदान :

लघु तथा मध्यम–वृहद उद्योगों को सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान की सुविधा मेगा उद्योगो को उपलब्ध नहीं होगी –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें
श्रेणी ब–अति पिछड़ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत	7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष तक बिना किसी

	वार्षिक ब्याज वहन करें	अधिकतम सीमा के बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें

ख– मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ सामान्य क्षेत्र	निरंक अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें
श्रेणी ब अति पिछड़ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें	7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष तक अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें

2–अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–

लघु , मध्यम–वृहद तथा मेगा उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत, बिना किसी सीमा के	अधोसंरचना सहित स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 25 लाख अनुसूचित जाति/ जनजाति के निवेशकों के मामलों में स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/ जनजाति की महिला निवेशकों को स्थाई पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, बिना किसी सीमा के
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	अधोसंरचना सहित स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 35 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों को स्थायी पूंजी निवेश (अधोसंरचना को छोड़कर) का 25 प्रतिशत, अनूसूचित जाति/ जनजाति की महिला निवेशको को 35 प्रतिशत बिना किसी अधिकतम सीमा के	अधोसंरचना सहित स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 35 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति के निवेशकों को 25 प्रतिशत, अनूसूचित जाति/ जनजाति की महिलाओं को 35 प्रतिशत बिना किसी अधिकतम

		सीमा के

ख– वृहद–मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अनुसूचित जाति/ जनजाति के निवेशकों के मामलों में अधोसंरचना तथा स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/ जनजाति की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	सकल पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत राशि , अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	सकल पूंजीगत लागत की 45 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

ग– मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने के लिए अधोसंरचना की 25 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अनुसूचित जाति / जनजाति के निवेशकों के मामलों में अधोसंरचना तथा स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/ जनजाति की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	सकल पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत राशि , अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत राशि , अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	सकल पूंजीगत लागत की 45 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

टीप : अनुदान की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए भुगतान किए गए वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रयकर की ऐसी राशि, जिसका वैट

स्कीम में समायोजन/वापसी का दावा किया गया हो, सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

3– विद्युत शुल्क छूट

केवल नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी । विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार पर विद्युत शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट 2. अनुसूचित जाति / जनजाति द्वारा स्थापित उद्योगों को 15 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

ख– वृहद–मध्यम

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

ग– मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग

श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

4– स्टाम्प शुल्क से छूट –

''परिशिष्ट–4–ए'' में दर्शाये गये उद्योगों को स्टाम्प शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

(1) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/लीज के निष्पादित विलेखों पर छूट,

(2) ऋण तथा अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर पंजीयन दिनांक से तीन वर्ष तक छूट

5– प्रवेश कर से छूट –

उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक अथवा प्रथम बार छूट लेने के दिनांक, जो भी पहले हो, प्रवेश कर से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी

लघु उद्योग / मध्यम –वृहद /मेगा प्रोजेक्ट –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 5 वर्ष तक छूट	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / मायनिंग लीज से प्राप्त माल , डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 7 वर्ष तक छूट
श्रेणी ब–अति	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी /	राज्य में स्थित केप्टिव

पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 7 वर्ष तक छूट	क्वारी / मायनिंग लीज से प्राप्त माल , डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 9 वर्ष तक छूट

6 औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत :

निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन में भू–प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

क लघु, मध्यम तथा वृहद उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये 100 प्रतिशत छूट,	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये 100 प्रतिशत छूट,

ख मेगा प्रोजेक्ट –

क्षेत्र	समान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये भू– प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट	भू– प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये 100 प्रतिशत छूट	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन

बाहुल्य क्षेत्र		जाति के लिये 100 प्रतिशत छूट

टीप : अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके , इस हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक तथा अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू–खण्ड इन वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

7. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

नवीन उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार अनुदान दिया जाएगा –

समस्त लघु,/मध्यम–वृहद/मेगा प्रोजेक्ट –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति के निवेशकों को परियोजना लागत रू. 1 करोड़ तक होने पर लागत का 1 प्रतिशत, परियोजना लागत 1 करोड़ से अधिक होने पर 1/2 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 1 लाख
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु किये गये व्यय का 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 2 लाख

8 प्रौद्योगिकी प्रौन्नति हेतु ब्याज अनुदान

विद्यमान औद्योगिक इकाइयों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से तकनीकी प्रोन्नति हेतु लिये गये सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी पर प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष से निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख

		वार्षिक
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

ख. मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 12.5 लाख	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 12.5 लाख
श्रेणी ब अति पिछडे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 25 लाख

ग. मेगा प्राजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ सामान्य क्षेत्र	निरंक	निरंक
श्रेणी ब अति पिछडे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 25 लाख

9 भूमि उपयोग में परिवर्तन

नवीन लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए पूर्ण छूट दी जाएगी ।

10 औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आवंटन सेवा शुल्क

निजी भूमि के अर्जन पर जिला कलेक्टर को देय 10 प्रतिशत सेवा शुल्क एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीय डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को निजी भूमि के अर्जन/ शासकीय भूमि के आवंटन

के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क को कम करते हुये निम्नानुसार सेवा शुल्क लिया जाएगा–

क– निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू–अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि ,

ख– औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निजी/ शासकीय भूमि आबंटन पर भूमि के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि.

11 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

राज्य में स्थापित होने वाले समस्त नवीन उद्योगों को आई0एस0ओ. –9000, आई0एस0ओ0– 14000 या अन्य समान राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू0 75000, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

12 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान

राज्य में स्थापित होने वाले समस्त नवीन उद्योगों को पेटेन्ट प्राप्ति हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू0 5 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

परिशिष्ठ–4–ए

स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता वाले उद्योगों की सूचीः

1– लघु उद्योग के मामलों में ''परिशिष्ट–2'' के उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को छूट प्राप्त होगी,,

2– मध्यम–वृहद उद्योग– मेगा प्रोजेक्ट : निम्न उद्योगों को छूट प्राप्त होगी–

1. हर्बल तथा वनोषधि प्रसंस्करण
2. ऑटो मोबाईल, आटो कम्पोनेंट एवं स्पेयर्स एवं साइकिल उद्योग
3. प्लांट /मशीनरी/ इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण
4. एल्यूमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
5. खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान /सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)

6. मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद
7. फार्मास्यूटिकल उद्योग
8. व्हाईट गुडस तथा इलेक्ट्रोनिक उपभेक्ता उत्पाद
9. अपरम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन
10. सूचना प्रौघोगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी
11 वनों पर आधारित प्रसंस्करण इकाई
12 लौह एवं इस्पात तथा इस पर आधारित उद्योग
13 सीमेंट और सीमेंट पर आधारित उद्योग
14 कोयले एवं अन्य रसायन उद्योग
15 कीमती पत्थर व आभूषण
16 ग्रेनाइट पर आधारित उद्योग
17 सड़क अधोसंरचना
18 शहरी अधोसंरचना जिसमें नवीन रायपुर का विकास शामिल है
19 जल प्रदाय
20 उर्जा उत्पादन पारेषण एवं वितरण
21 राईस ब्रान आयल साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
22 धान के पुवाल पर आधारित बोर्ड व पेपर मिल
23 कोल्ड स्टोरेज
24 लेमन ग्रास आयल, मेन्थाल आयल
25 बांस पर आधारित कागज उद्योग
26 फूलों पर आधारित आयुवेदिक दवा निर्माण
27 फूलों पर आधारित सेंट व परफ्यूम
28 ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाए

'''